

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मन्दसौर (प्र.म)

क्र/स्थापना/नियुक्ति/प्राशि नियोजन/2026/5907

मन्दसौर, दिनांक 02-10-26

//आदेश//

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय-समय पर संशोधित भर्ती नियम के नियम 5(4)(क) के अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल, म.प्र. भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के परिणाम के आधार पर जारी चयन सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों को दिव्यांगता परीक्षण में पात्र पाए जाने पर म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त कर उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है :-

S. No	App. No.	Cons. Rank	Name & father's name	Address	Original Category	Selected Category	Allotted School & UDISE Code	Block
1	3406250 634621	3302	Shayam Sundar Patidar F/H Name- Ram Prahlad	Sanghvi Mohalla Bisalwaskala Neemuch	OBC	OBC/ LD/OP	GPS PITYAKHEDI 23190621301	Mandsaur
2	3407250 736620	12931	Deepak Sharma F/H Name- Gorishankar Sharma	Brahmankhedi Khurd Shrivachh Khachrod	UR	UR/ LD/OP	GPS KARANKHEDI 23190807901	Sitamau
3	3403250 655850	27427	Ritesh Patidar F/H Name- Shankar Patidar	00 Rajur Post Singun Khargone	OBC	GF/OBC/ VH/OP	GPS RICHHA BACHCHA 23190604701	Mandsaur
4	3412250 665295	31664	Meena Binjava F/H Name- Hiralala Binjava	1 Laxmi Bai Marg Gadi Sonkatch	OBC	GF/OBC/ LD/OP	GMS SINDPAN 23190602102	Mandsaur
5	3407250 631046	32970	Mukeshdas Bairagi F/H Name- Lal Das Ji Bairagi	264 Gali No 1 Uplai Uplai Jaora	OBC	GF/OBC/ LD/OP	GMS SHAKKARKHEDI 23190800903	Sitamau
6	3406250 670712	45106	Mohan Singh Parihar F/H Name- Uday Singh Parihar	0 Nagar Pipliya Ranayara Malhargarh	OBC	OBC/ MD/OP	GPS AABAKHEDI 23190415001	Malhargarh

2/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.-2 (छठवां वेतनमान 5200-20200+2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अन्तर्गत मेट्रिक्स में लेवल-6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300-80500 के न्यूनतम वेतन रुपये 25300/- + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्र-सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12-12-2019 के बिन्दु क्रमांक (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 (राजपत्र दिनांक 24 दिसम्बर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्थायपेण्ड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि (03 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारम्भ किया जाएगा।

3/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परीक्षा पर की जाती है। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं-भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा

सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण से सम्बन्धित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

4/ सम्बन्धित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02-04-2005 के अनुसार दिनांक 01-01-2005 के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को म.प्र. शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. एफ-9/3/03/नियम/चार दिनांक 13-04-2005 के प्रावधानानुसार परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना लागू होगी।

5/ सम्बन्धित अभ्यर्थी को दिनांक 14-10-2026 तक कार्यालय ज़िला शिक्षा अधिकारी में उपस्थिति देनी होगी। प्राथमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी तीन स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लाएंगे। कार्यालय ज़िला शिक्षा अधिकारी में अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज़ों से किया जाएगा। दस्तावेज़ों की सूची निम्नानुसार है :-

- I. नियुक्ति आदेश
- II. पासपोर्ट साइज़ फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर, ई-मेल एड्रेस
- III. जाति प्रमाण-पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम) (अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र)
- IV. आर्थिक रूप से कमज़ोर प्रवर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए EWS प्रमाण-पत्र
- V. मूल निवासी प्रमाण-पत्र
- VI. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र (न्यूनतम 40% स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण-पत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है)
- VII. अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण-पत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर हुई है)
- VIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में सम्बन्धित विभाग को प्रस्तुत त्याग-पत्र की पावती प्रति
- IX. अभ्यर्थी के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता सम्बन्धी दस्तावेज़
- X. भूतपूर्व सैनिक की दशा में वैध प्रमाण-पत्र
- XI. बोनस प्राप्त करने की स्थिति में NCC का C प्रमाण-पत्र
- XII. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा जारी पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा की अंकसूची
- XIII. अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए क्रीमिलेयर में नहीं आने सम्बन्धी घोषणा (परिशिष्ट-1)
- XIV. संलग्न शपथ-पत्र Notarized (परिशिष्ट-2)

6/ बिन्दु 5 में उल्लेखित दस्तावेज़ों के इस कार्यालय द्वारा परीक्षण उपरान्त पात्र पाये जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र (पुलिस वेरीफिकेशन) भी प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को ज़िला पारस्परिक परिवर्तन के लिए दिए गए विकल्प के कारण पूर्व में जारी ज़िला आवण्टन आदेश निष्प्रभावी माना जाएगा।

7/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जाएगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

8/ परीवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अन्तर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किए गए मापदण्डों के अनुसार किया जाएगा।

विशेष टीप → यदि चरित्र/जाति/निःशक्ता/शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता/शपथपत्र इत्यादि दस्तावेज़ सत्यापन की रिपोर्ट में ग़लत या असत्य पाए जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फ़र्ज़ी अथवा असत्य पाये जाते हैं, तो सम्बन्धित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

PANKAJ
KUMAR
JAT
ज़िला शिक्षा अधिकारी

ज़िला मन्दसौर (प्र.म)

मन्दसौर, दिनांक 02-10-26

पृ.क्र./स्थापना/नियुक्ति/प्राशि नियोजन/2026/5908

प्रतिलिपि -:

- 1- विशेष सहायक महोदय, माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
- 2- अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
- 3- सचिव महोदय, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 4- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
- 5- आयुक्त महोदय, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
- 6- संचालक महोदय, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल।
- 7- सम्भागायुक्त महोदय, सम्भाग उज्जैन।
- 8- कलेक्टर महोदय, ज़िला मन्दसौर।
- 9- सम्भागीय संयुक्त संचालक महोदय, लोक शिक्षण, सम्भाग उज्जैन, म.प्र.।
- 10- ज़िला कोषालय अधिकारी, मन्दसौर।
- 11- विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (समस्त), ज़िला मन्दसौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 12- चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित ज़िले के ज़िला शिक्षा अधिकारी (म.प्र.) को दिनांक 14 अक्टूबर 2026 तक अपनी उपस्थिति देवें।

PANKAJ
KUMAR JAT
ज़िला शिक्षा अधिकारी
ज़िला मन्दसौर (प्र.म)

अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं.....विभाग में. के संबंध में निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ। शिक्षक पद पर नियुक्ति के संबंध में निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ।

(1) मैं..... पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी ग्राम/कस्बा/शहर.
..... जिला.....मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं. का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आरक्षण के जाति लिए अधिसूचित है।

(2) मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात् क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मेरा जाति प्रमाण-पत्र एवं वर्ष 2025-2026 का आय प्रमाण पत्र संलग्न है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर,.....

नाम.....

रोल नम्बर.....

::शपथ पत्र::

फोटो

मैं आयु पुत्र/पुत्री/पत्नी.....

निवासी

.....शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ-

1. यह कि मेरा चयन,पद पर हुआ है।

2. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है।

3. यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।

4. यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है।

5. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है।

6. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण / संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है।

7. यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारी दी है एवं जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सही एवं सत्य है।

8. यह कि यदि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है और जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं यदि उनमें कोई भी जानकारी/दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जोकि मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा।

9. यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरा नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जाता है और यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

10. यह कि मेरी दो से अधिक जीवित संतान में किसी का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात नहीं हुआ है।

11., माननीय न्यायालय में नियुक्ति के संबंध में मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई न्यायालयीन प्रकरण विचाराधीन/लंबित नहीं है।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता.....सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की कंडिका क्रमांक 1 लगायत 11 में दी गई समस्त जानकारियां मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही है, जिनका सत्यापन आज दिनांक..... को स्थानमें किया गया है।

शपथग्रहिता